आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT-II)
नवीन सीमाशुल्क भवन, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001
NEW CUSTOM HOUSE, BALLARD ESTATE, MUMBAI–400001
फोन- 02222757717, ई मेल-hindimumbaizone1@gmail.com

दिनांक: 29-09-2025
(जुलाई से सितंबर-2025 की तिमाही, 61वींबैठक)

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
Subject: Minutes of the meeting of Official Language Implementation Committee(OLIC).

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, दिनांक 23.09.2025 को शाम 3 बजे, आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	अधिकारी के नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	कार्यालय/विभाग	पदभार
01	कुमार अमरेन्द्र नारायण	आयुक्त	आयात-II	अध्यक्ष
02	ज्योति अग्रवाल	अपर आयुक्त	आयात-II	सदस्य
03	मंदीप सिंह जलोटा	संयुक्त आयुक्त	आयात–II/राजभाषा	सदस्य
04	अजित रॉय तोगारे	उप आयुक्त	आयात–II	सदस्य
05	हरीश परमार	उप आयुक्त	आयात–II/राजभाषा	सदस्य
06	अमित भाटिया	सहायक आयुक्त	आयात–II	सदस्य
07	जे. ए. पटेल	सहायक आयुक्त	आयात–II	सदस्य
08	धर्म वीर चौहान	क. अनुवाद अधिकारी	आयात-I, आयात-II एवं लेखापरीक्षा/राजभाषा	सदस्य सचिव

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत सदस्य सचिव श्री धर्म वीर चौहान, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की। बैठक का मिनट दर मिनट वृत्तान्त इस प्रकार है।

2-पिछली बैठक (दिनांक 19.06.2025) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति-
राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की पिछली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिनपर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है।

2.1-ई-ऑफिस में हिन्दी टिप्पणी बढ़ाने के लिए पत्र
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में ई-ऑफिस से व्यक्तिवार हिन्दी टिप्पणी रिपोर्ट निकाली गई; और इसे एक परिपत्र के माध्यम से कार्यालय में परिचालित कर दिया गया है। इसके माध्यम से सभी को बताया गया कि वे आगे से 55% टिप्पणियाँ हिन्दी में ही लिखें।

(अनुपालन पूर्ण)

2.2-वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों पर विमर्श
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिन्दी के प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम-2025-26 को एक पत्र के माध्यम से कार्यालय में परिचालित कर दिया गया है; ताकि सभी को हिन्दी लक्ष्यों की जानकारी मिल सके।

(अनुपालन पूर्ण)

2.3-राजभाषा जांच-बिन्दु जारी करना
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कार्यालय में राजभाषा जांच-बिन्दु जारी कर दिया गया है

(अनुपालन पूर्ण)

2.4-राजभाषा मंथन के लिए फंड मंगवाना
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में राजभाषा मंथन के आयोजन हेतु फंड मँगवाने के लिए प्रशासन को

पत्र लिखा गया है।

(अनुपालन पूर्ण)

3-वर्तमान बैठक में लिए गए निर्णय

वर्तमान बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है।

3.1-हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता

बैठक में ई-ऑफिस से उत्पन्न व्यक्तिवार हिन्दी टिप्पणी रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जिनका रिपोर्ट निर्धारित लक्ष्य (55%) से अधिक था उनकी प्रशंसा की गई; और जो लक्ष्य से नीचे थे उन्हे हिन्दी टिप्पणी ज्यादा करने के निर्देश दिए गए। जिनका रिपोर्ट 5% या उससे कम है उन्हे व्यक्तिशः पत्र लिख कर बताया जाए कि वे लक्ष्य के अनुसार हिन्दी टिप्पणी लिखें।

(कार्यवाही: राजभाषा अनुभाग)

3.2-55% हिन्दी टिप्पणी को अनिवार्य करना

समिति ने निर्णय लिया कि 55% हिन्दी टिप्पणी सभी के लिए अनिवार्य किया जाए। इसके लिए एक सामान्य आदेश जारी किया जाए। जिनका रिपोर्ट कम होगा, उन्हे जवाब देना पड़ेगा।

(कार्यवाही: राजभाषा अनुभाग)

3.3-DGPM से प्राप्त समीक्षा रिपोर्ट

समिति ने यह पाया कि DGPM से प्राप्त हिन्दी तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा में भी हमारे कार्यालय की हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता कम है। इस पर समिति ने निर्णय लिया कि ई-ऑफिस में इस प्रकार टिप्पणी लिखा जाए कि हर टिप्पणी में हिन्दी शब्दों का अंश अंग्रेजी शब्दों से हमेशा ज्यादा हो। द्विभाषी की स्थिति में एक या दो लाइन हिन्दी टिप्पणी ज्यादा लिखी जाए, जिससे हिन्दी का अंश अंग्रेजी से ज्यादा हो जाए या पूरी टिप्पणी पूर्ण रूप से हिन्दी में हो तभी ई-ऑफिस उसे हिन्दी टिप्पणी की श्रेणी में गणना करता है।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

3.4- राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) पर विमर्श

समिति के संज्ञान में लाया जाता है कि आयुक्तालय आयात-II शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। अब नियम 8(4) के तहत सभी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है। इस बिन्दु पर आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के कुछ अनुभागों को पूरी तरह से हिन्दी में कार्य करने के लिए नामित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(कार्यवाही: राजभाषा अनुभाग)

3.5-राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 की अवहेलना

समिति के संज्ञान में लाया जाता है कि मूल्यांकन (मुख्य) अनुभाग ने पत्र शीर्ष (letter head) को केवल हिन्दी में जारी कर नियम 11 का उल्लंघन किया है; जबकि नियमानुसार इसे द्विभाषी होना चाहिए जिसमें हिन्दी का क्रम ऊपर और अंग्रेजी का क्रम नीचे होगा। समिति ने इसे ठीक करने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही: मूल्यांकन मुख्य अनुभाग)

3.6-आंतरिक राजभाषा निरीक्षण रिपोर्ट पर विमर्श

राजभाषा नियमानुसार कार्यालय के पाँच अनुभागों का आंतरिक राजभाषा निरीक्षण दिनांक 17-18 जून 2025 को किया गया था। रिपोर्ट में पाई गई कमियाँ विस्तार से समिति के समक्ष पेश की गईं। अध्यक्ष महोदय ने संबंधित अनुभाग पप्रमुखों को इसमें सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

(कार्यवाही: संबंधित अनुभाग प्रमुख)

3.7-अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता

समिति के संज्ञान में लाया गया कि दिनांक 14-15 सितंबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किए गए पांचवे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में कार्यालय की तरफ से श्री धर्म वीर चौहान, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, ने सफलतापूर्वक भाग लिया।

(सादर सूचनार्थ)

3.8-गृह पत्रिका सीमाभारती का प्रकाशन

समिति के संज्ञान में लाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I की विभागीय हिन्दी गृह पत्रिका "सीमाभारती" के 30वें अंक का सफल प्रकाशन किया गया।

(सादर सूचनार्थ)

3.9-हिन्दी अनुभाग में स्टाफ की कमी

समिति के संज्ञान में लाया गया कि श्री धर्म वीर चौहान, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को आयुक्तालय आयात-I में

नियमित रूप से तैनात किया गया है; और साथ-ही साथ उन्हे आयुक्तालय आयात-II और आयुक्तालय लेखापरीक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उन्हे अकेले तीनों आयुक्तालयों में प्रभावी राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समिति से निवेदन किया गया कि हिन्दी अनुभाग में एक अतिरिक्त अधिकारी की तैनाती की जाए। इस बिन्दु पर हिन्दी अनुभाग में अधिकारी की तैनाती के लिए प्रशासन को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

3.10-अन्य बिन्दु/सुझाव

हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के निर्देश दिए गएं। वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी के लिए जो लक्ष्य दिए गए हैं , उसको एक पैम्फलेट के रूप में तैयार किया जाए और उस पैम्फलेट को सभी अधिकारियों के टेबल पर चिपका दिया जाए, ताकि वे वास्तविक समय में (in real time) उसमें देखते हुए लक्ष्यानुसार हिन्दी में कार्य करें। स्टिकी नोट्स का वर्ड फाइल भी कार्यालय में परिचालित किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

अंत में सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इसे आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Anita Sambhaji Bagade
Date: 29-09-2025
13:14:09

(अनिता एस. बगाड़े)
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II)/राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
2-आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
3-समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
4-समस्त उप/सहायक आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
5-मुख्य लेखाधिकारी (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6-समस्त अनुभाग (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
7-सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
8-सहायक निदेशक/राजभाषा, DGPM, नई दिल्ली, को अनुपालन रिपोर्ट के रूप में प्रेषित। (म.सं.-2)
9-ई.डी.आई, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।